न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 47/2016

सायलान :-

1. जिमनाई बेवा गोपा
2. ढ्गलाईदेवी पुत्री गोपा पत्नि लुम्बाराम, जाति-कुम्हार निवासी-बलाड़, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

गै0सा0 :-

1. समुदेवी बेवा भोलाराम
2. रामनिवास पुत्र भोलाराम
3. धाराराम पुत्र भोलाराम जातियान-जाट,निवासी-बलाड़ा तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण
6. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील-जैतारण
7. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा-निमाज तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 10/03/2014

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत एवं श्री करणीदान चारण, अधिवक्तागण, सायलान
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 11/12/2017**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलाड़ा, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 937 कुल रकबा 9-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 की तथा नक्शा ट्रेश संलग्न हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त कृषि भूमि सैटलमेन्ट के पूर्व से सायला जिमनाई के पति व सायला संख्या 02 ढ्गलाई के पिता गोपा के कब्जा व काश्त में निरन्तर बिना किसी रोक टोक के व कानाराम के जानकारी में होते हुए काबिज हैं तथा कब्जे व काश्त के सबूत में संवत् 2010 से 2014 तत्पश्चात् 2014 से 2017 की खसरा गिरदावरी में काश्त व कब्जा गोपा का दर्ज हैं तथा फसल ज्वार व बाजरी, तिल बोया जाना दर्ज हैं। तथा गोपा के फौत हो जाने पर सायला जिमनाई द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होने से खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2030 तक में सायला जिमनाई का कब्जा व काश्त दर्ज हैं तथा फसल ज्वार, तिल आदि बोया जाना दर्ज हैं। खसरा नम्बर 937 की सम्पूर्ण भूमि 9-14 बीघा पर वक्त सैटलमेन्ट के पूर्व से ही लगातार आज दिन तक गोपा जब जीवित थे, तब उनका कब्जा व काश्त था तथा उनके फौत होने पर सायलान जिमनाई व ढ्गलाई का कब्जा काश्त लगातार आज दिन तक बिना किसी रोक टोक व रूकावट के निरन्तर गै0सा0 के जानकारी में होते हुए हैं तथा कानाराम के फौत होने के पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भी सायलान के कब्जे काश्त की जानकारी कानाराम को थी। इस भूमि पर कभी भी कानाराम के फौत होने पर भोलाराम व गै0सा0 का कभी भी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। खसरा नम्बर 937 कुल रकबा 9-14 बीघा में बतौर खातेदार कानाराम का नाम गलत व गैरकानूनी रूप से इन्द्राज था, जो गलत इन्द्राज रद्ध घोषित किये जाने योग्य हैं। कानाराम अपने जीवनकाल में आउट ऑफ पजेशन रहा हैं तथा कानाराम के फौत होने पर भोला का बतौर वारिस के खातेदार के रूप में जमाबन्दी में तथा नामान्तरकरण के रूप में इन्द्राज गलत व गैरकानूनी हैं तत्पश्चात् गै0सा0 का इस भूमि पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा हैं। इसलिए वारिसान के रूप में बतौर खातेदार काश्तकार का इन्द्राज नामान्तरकरण व जमाबन्दी में गलत व गैरकानूनी दर्ज किया हैं एवं यह इन्द्राज किये जाने के पूर्व कब्जे व काश्त बाबत् रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा कोई जांच नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में कानाराम भोला व उसके विधिक वारिस गै0सा0 के नाम राजस्व रेकर्ड में रद्ध घोषित किये जाकर नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना जरूरी हैं तथा सायलान को उक्त कृषि भूमि की खातेदारी काश्तकार के नाम इन्द्राज किया जाना न्यायतन आवश्यक हैं। राजस्व रेकर्ड में गै0सा0 के नाम गलत व गैरकानूनी रूप से इन्द्राज होने का फायदा उठाकर भूमि को गै0सा0 बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण व बख्शीश वसीयत इत्यादि करने पर उतारू हो सकते हैं। गै0सा0 सैट्लमेन्ट के पूर्व से ही आउट ऑफ पजेशन में हैं तथा सायलान निरन्तर बिना किसी रोक टोक के गै0सा0 की जानकारी में काबिज होने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये हैं तथा प्रतिकूल धारण से भी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं। गै0सा0 अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से सायलान को बेदखल करने तथा टंटा फसाद कर जबरन लाठी के बल पर काबिज होने के लिए आमादा हैं तथा दिनांक 06/03/2014 को गै0सा0 ने उक्त कृषि भूमि के बेचान करने हेतु अजनबी क्रेता से प्रतिफल की राशि भी ले ली हैं एवं सायलान को बेदखल कर कब्जा करने हेतु धमकिया ग्राम बिलाड़ा में दी हैं उसके पश्चात् गै0सा0 ने जैतारण में आकर बेचान रजिस्टी करवाने हेतु स्टाम्प भी खरीद किये हैं। इस प्रकार हर हालत में उक्त विवादित कृषि भूमि का बेचान करने पर गै0सा0 आमादा हैं। सायलान द्वारा उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी नक्शा ट्रेश व गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 07/03/2014 को लेने पर प्रथम बार जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गै0सा0 का नाम बतौर खातेदार के दर्ज हैं। नकल गिरदावरी की संवत् 2010 से 2014 व 2014 से 2017 व 2020 से 2023 की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। गै0सा0 राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का फायदा लेते हुए उक्त कृषि भूमि को बेचान रहन व अन्य हस्तान्तरण करना चाहते हैं तथा लाठी के बल पर सायलान को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं। इसलिए गै0सा0 को ऐसा करने से रोका जाना न्यायतन आवश्यक हैं। अन्यथा प्रार्थना पत्र करने का मकसद ही खत्म हो जोयगा। इसलिए सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गै0सा0 के पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 01 से 03 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रा0प0 में व्यक्त किया कि सरहद मौजा बलाड़ा के ख0न0 937 कुल रकबा 9-14 बीघा किस्म बा0 अ0 की आई हुई है। उक्त भूमि गै0सा0 संख्या 01 से 03 की पैतृक व पुश्तैनी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि को वादग्रस्त भूमि होना का सायला ने गलत तथ्य लिखा है। वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से ही इस वादग्रस्त भूमि कें काबिज खातेदार काश्तकार गै0सा0 संख्या 01 से03 के दादा व ससुर श्री कानाराम थे तथा कानाराम का ही वक्त सेटलमेन्ट के समय से कब्जा काश्त था। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड पर्चा खतौनी भी कानाराम के नाम की जारी हुई थी तथा मिसल बन्दोबस्त में भी कानाराम का ही नाम दर्ज हुआ था। तत्पशचात् कानाराम का स्वर्गवास हो जाने पर भूमि भोलाराम के दर्ज हुई एवं मौके पर भोलाराम का कब्जा काश्त था। तदोपरान्त गै0सा0 संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त व हक व अधिकार है। सायला ने जो खसरा गिरदावरी पेश की है, वह दस्तावेज रिकॉर्ड ऑफ राईट के रुप में ग्राह्य नहीं है। न हीं इसे सायलान को किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त होते है। खसरा नं. 937 की सम्पूर्ण भूमि संवत् 1996, 2007 व 2008 वक्त सेट्लमेन्ट के पूर्व व बाद सभी समय गै0सा0 के पूर्वजों के कब्जे काश्त व हक व अधिकार में थी। कानाराम व भोलाराम एवं गै0सा0 संख्या 01 से 03 केआउट ऑफ पजेशन रहने के कथन झुठे लिखे गये है। राजस्व रेकर्ड में गै0सा0 के नाम की प्रविष्टि सही है। वर्षो पूर्व से इस भूहम पर गै0सा0 बैंको से अपना साख पत्र भी बनवाते रहें है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि SBBJ शाखा निमाज में रहन रखकर गै0सा0 संख्या 01 से 03 द्वारा ऋण प्राप्त किया हुआ है। जिसका इन्द्राज भी राजस्व रेकर्ड में है। सायलान ने बदनियतीवश यह असत्य झुठा व निराधार वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0प0 पेश किया है। उक्त विवादित भूमि गै0सा0 के पैतृक पुश्तैनी है। इस पर गै0सा0 व उनके पूर्वज काबिज काश्त करते हुए भी आ रहें है। जिस पर प्रतिकूल धारण (एडवर्स पजेशन) का सिद्यान्त भी लागू नहीं होता है। न ही वादी /सायल एडवर्स पजेशन की प्ली ले सकते है। एडवर्स पजेशन की प्ली कानूनन प्रतिवादीगण / गै0सा0 को ही प्राप्त होती है। लगभग 60 वर्ष बाद सायलान ने पहली बार जानकारी होने के तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह निराधार प्रा0प0 पेश किया है। खसरा गिरदावरी राईट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। सायला ढगलाई देवी का सुसराल लितरिया गांव में है तथा ढगलाई देवी वही पर रह रही है। उसका पति लुम्बाराम भी वही का रहने वाला है। प्रथम दृष्ट्या मामला सायलान के पक्ष में होने के तथ्य भी झुठे है। ख0न0 937 की सम्पूर्ण भूमि गै0सा0 संख्या 01 से 03 की खातेदारी हक व अधिकार व कब्जे काश्त की है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन गै0सा0 संख्या 01 से 03 के पक्ष में है। यदि इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जरिये किसी प्रकार का कोई स्थगन जारी किया जाता है। तो सायलान उस स्थगन की आड़ में मौके पर जाकर विवाद करेंगें। जिससे वाद बहुल्यता होगी व गै0सा0 को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिएं सायलान का प्रा0प0 काबिल खारीज के है। जबाब प्रा0प्र0 पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रा0प्र0 काबिल खारीज का होने से सव्यय खारीज फरमावें। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस समायत की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने न्यायिक दृष्टान्त 1. आर.आर. डी. 2016 पेज संख्या 513 (हाईकोर्ट) 2. आर.आर.डी. 1999 पेज संख्या 467 का पेश किया।

पत्रावली मय दस्तावेजात्, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका कमीश्नर रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मौका कमीश्नर/फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.3.2014 में ख0न0 937 रकबा 9-14 बिस्वा किस्म बा0अ0 में उक्त भूमि पर जिमनाई पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गोपा व ढगलाई पुत्री गोपा कुम्हार द्वारा रबी फसल बुवाई की थी। वर्तमान में भी जिमनाई वगैरह का कब्जा काश्त है। तथा उपस्थित मौतबिरान से पुछताछ करने पर जाहिर कर बताया गया कि उपरोक्त विवादित भूमि पर कदिम में कब्जा काश्त जिमनाई वगैरह का ही चला आ रहा है तथा गै0सा0 का कब्तजा काश्त कभी नहीं रहना बताया गया अंकित है। सायलान के पक्ष में दिनांक 10.3.2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। जिसमें विवादित आराजी का किसी को बेचान रहन अन्य हस्तानान्तरण आदि करने से रोका जाना तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने हेतु गै0सा0 को आगामी आदेश तक पाबन्द किया है। लिहाजा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-बलाड़ा, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 937 कुल रकबा 9-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने से एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 10/03/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/12/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner